

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञाप संख्या- 2/स्कीम-10-05/2019 श्र0सं0- 62

/पटना, दिनांक 05/7/19

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

अ-नीपसारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा- वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय- मुख्य शीर्ष 2230-श्रम तथा रोजगार, उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम, लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध, उप शीर्ष-0109-कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, विषय शीर्ष 52 01, मशीनें एवं उपस्कर मांग संख्या- 26, के अंतर्गत विपत्र कोड- 26-2230011010109 स्कीम कोड- LAB-5229 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधीकरण के लिये दो-दो अदद डेस्कटॉप कम्प्यूटर (स्वत श्याम प्रिंटर एवं यू०पी०एस० के साथ) का क्रय कर अधिष्ठापित करने के लिए कुल 15.838 लाख रुपये (पन्द्रह लाख तिरासी हजार आठ सौ रुपये) मात्र की अग्रिम निकासी एवं उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधीकरण के लिये दो-दो अदद डेस्कटॉप कम्प्यूटर (स्वत श्याम प्रिंटर एवं यू०पी०एस० के साथ) का क्रय कर अधिष्ठापित करने के लिए बिहार सरकार का उपक्रम बेल्ट्रॉन के द्वारा उनके पत्रांक 3889/19 दिनांक 14.06.2019 के माध्यम से कुल 15.838 लाख रुपये (पन्द्रह लाख तिरासी हजार आठ सौ रुपये) का प्रोफॉर्मा इन्व्यास प्राप्त है।

इस प्रोफॉर्मा इन्व्यास के विरुद्ध श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधीकरण के लिये दो-दो अदद डेस्कटॉप कम्प्यूटर (स्वत श्याम प्रिंटर एवं यू०पी०एस० के साथ) का क्रय कर अधिष्ठापित करने के लिए कुल 15.838 लाख रुपये (पन्द्रह लाख तिरासी हजार आठ सौ रुपये) मात्र की अग्रिम निकासी एवं उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- यह राशि मुख्य शीर्ष 2230-श्रम तथा रोजगार, उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम, लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध, उप शीर्ष-0109-कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, विषय शीर्ष 52 01, मशीनें एवं उपस्कर, मांग संख्या- 26 के अंतर्गत विपत्र कोड- 26-2230011010109 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकल्पनीय होगी।


3- इस हेतु इस बजट शीर्ष के अंतर्गत 5.00 करोड रुपये (पाँच करोड रुपये) का बजट उपबंध स्वीकृत है।

4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना होंगे।


5- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सरकार पक्ष, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना इस राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इसे बेल्ट्रॉन, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

6- स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव पर संचिका संख्या 2/स्कीम-10-05/2019 श्र0सं0 के पृ० संख्या- 04/टि० पर सक्षम प्राधिकार प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

7- उक्त राशि के अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर संचिका संख्या 2/स्कीम-10-05/2019 श्र0सं0 के पृ० संख्या- 04/टि० पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।


विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

- प्रतिलिपि:-1. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वित्त विभाग, व्यय शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सरकार पक्ष/लेखा शाखा (सरकार पक्ष) (दो प्रतियों में), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. प्रबंध निदेशक, वेल्ड्रॉन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।